17

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

[अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्रहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
फरवरी, 2021/माघ, 1942 (शक)

सत्रहवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

[अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

12.02.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

12.02.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2021/माघ, 1942 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय- एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।.....	16
अध्याय -तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....	38
अध्याय -चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....	40
अध्याय -पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के है.....	45

अनुबंध

अनुबंध- एक	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2019-20 तथा वास्तविक व्यय 2019-20 को दर्शाने वाला विवरण	50
अनुबंध- दो	2019-20 की अंतिम तिमाही/माह के दौरान अनुमत व्यय सीमा के संबंध में छूट संबंधी पत्र	52
अनुबंध- तीन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की 10.11.2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	54

परिशिष्ट

	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।	57

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती संगीता आजाद
3. श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज'
4. श्रीमती प्रमिला बिसाई
5. श्री थॉमस चाजिकाडन
6. श्री छतर सिंह दरबार
7. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोडा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. श्री पशुपति कुमार पारस
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्री अर्जुन सिंह
18. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
19. श्री के. षणमुग सुंदरम
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्री एन. चंद्रशेखरन
26. श्री बिस्वजीत दैमारी[$]
27. श्रीमती ममता मोहंता
28. श्री पी.एल. पुनिया[*]
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री रामकुमार वर्मा
31. रिक्त

[$] श्री बिस्वजीत दैमारी, संसद सदस्य ने राज्यसभा में अपनी सीट से 21.11.2020 को इस्तीफा दे दिया।

*** श्री पी एल पुनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) 25.11.2020 को सेवानिवृत्त।**

सचिवालय

1. श्रीमती अनिता बी .पांडा- - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक
3. श्रीमती मधु भूटानी - उप सचिव
4. श्रीमती शशि विष्ट - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (21-2020) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (20192-0) 'पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

.2 आठवां प्रतिवदेन 16 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 08 जून, 2020 को उस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अपना उत्तर प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 10 नवंबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट पर दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय -एक में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2020
19 कार्तिक, 1942 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

अध्याय- एक

प्रतिवेदन

1.1 यह प्रतिवेदन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 आठवां प्रतिवेदन 16.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 27 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं.- 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.21, 3.22, 3.23, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.11, 5.12, 6.10, 7.9, 7.10, 8.7, 8.8, 9.8 और 9.18

(कुल: 20, अध्याय- दो)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

पैरा सं.- 9.14

(कुल: 1, अध्याय- तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं.- 3.24, 3.25 और 3.26

(कुल: 3, अध्याय- चार)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं:

पैरा सं.- 5.13, 7.8 और 7.11

(कुल: 3, अध्याय- पांच)

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण और अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण उन्हें यथाशीघ्र और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के किसी भी स्थिति में तीन माह से अनधिक समय में प्रस्तुत किए जाए।

1.4 अब समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करेगी जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

क. छात्रवृति योजनाएं

सिफारिश (पैरा सं. 3.24)

1.5 समिति ने अपने आठवें मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:

"समिति का मत है कि किसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदकों/लाभार्थियों के सत्यापन और विधिमान्यकरण तथा किसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के मामले में भी बेईमानी और अपात्र अभ्यर्थियों को हटाना योजना का अभिन्न भाग है। समिति का मत है कि इस पहलू को कम से कम संशोधित अनुमान आवंटन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए जो सामान्यतः सितंबर/अक्टूबर के महीने में होता है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी मत है कि सत्यापन और विधिमान्य जांच में विलंब के कारण धनराशि को वापस करने से पात्र अभ्यर्थियों को स्थिति के भुगतान में देरी हो सकती है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि आवेदकों द्वारा गांवों के सत्यापन और विधिमान्यकरण के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट समय-सीमा के साथ योजना के अंतर्गत धनराशि के वितरण को सुचारू बनाया जाए जिससे कि पात्र आवेदकों को उसी वर्ष छात्रवृत्रियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने इच्छा प्रकट की कि छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए निधियों को वापस करने के बजाय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्राओं को यदि कोई हो, अंक प्रतिशत मानदंड में छूट देकर छात्राओं को छात्रवृत्ति संवितरित कर सकते हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय उन्हें समुचित सलाह दे सकता है क्योंकि यदि माता-पिता उनकी फीस दे पाने की स्थिति में नहीं आते हैं तो छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी होती है।"

1.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई में निम्नवत बताया है:

"राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, पुनर्वैधीकरण, भुगतान और अन्य संबद्ध प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण तारीखें उच्चतम स्तर पर डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित काल क्रम के अनुसार तय की जाती हैं और सभी हितधारकों को काफी पहले से सूचित कर दी जाती हैं। फिर भी, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी न किसी कारणवश उपर्युक्त किसी अथवा सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है ताकि मूल रूप से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकाधिक आवेदकों को शामिल किया जा

सके। मंत्रालय ऐसे अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच करता है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें डीबीटी को भेज देता है।

जहां तक अंकों के प्रतिशत के मानदंडों में छूट देकर छात्राओं को छात्रवृत्ति संवितरित करने का संबंध है, यह उल्लेख है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, छात्राओं को 52.57% छात्रवृत्तियां मंजूर/संवितरित की गई।"

सिफारिश (पैरा सं. 3.26)

1.7 समिति ने अपने आठवें मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:

"प्रस्तुत सूचना से समिति पाती है कि 2019-20 के दौरान (दिसंबर, 2019 के अंत तक) इस प्रयोजनार्थ संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित निधि का केवल 18 प्रतिशत का उपयोग किया गया था और शेष 82 प्रतिशत निधि को वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में खर्च करने के लिए छोड़ दिया गया था। इस संख्या में फरवरी, 2020 तक 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च करने हेतु आवंटित कुल निधि की निर्धारित सीमा अर्थात् 25 प्रतिशत से अब भी बहुत अधिक है।

समिति को बताया गया था कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समय-सीमा इस प्रकार बनाई गई है कि व्यय वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में ही शुरु होता है तथा अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की तीसरी एवं चौथी तिमाही में ही होता है। तथापि, उत्तर में इस पर कुछ नहीं कहा गया है कि क्या मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की तीसरी एवं चैथी तिमाही में अधिक व्यय के लिए व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) से आवश्यक छूट प्राप्त कर ली है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उसे मंत्रालय से ऐसी छूट की प्रतियां दी जाएं। साथ ही अव्यावहारिक समय-सीमा का सविस्तार अध्ययन किया जाए और यह देखा जाए कि क्या योजना के अंतर्गत समय-सीमा को पहले किया जा सकता है। समिति सिफारिश करती है कि यह कार्य इस वर्ष किया जाए और इसके बाद टिप्पणियां की जाएं।"

1.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई में निम्नवत बताया है:

"वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय की अनुमेय सीमा के संबंध में छूट के लिए इस मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलें विभाग, वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त की गई थी। **(अनुबंध- दो)**

जहां तक अल्पसंख्यकों के लिए तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाने का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, पुनर्वैधीकरण, भुगतान और अन्य संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण तारीखें डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय में सर्वोच्च स्तर पर तैयार की गई समय-सीमा के अनुसार ही तय की जाती है और सभी स्टेक-होल्डरों को काफी पहले सूचित कर दिया जाता है। फिर भी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी न किसी कारणवश उपर्युक्त में से कोई या सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है ताकि मुख्यतः अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक से अधिक आवेदकों को शामिल किया जा सके। शीर्ष पर होने के नाते मंत्रालय को प्रत्येक अनुरोध पर तर्कसंगत ढंग से विचार करना और अधिकांशतः उनके पक्ष में देखना पड़ता है क्योंकि इसका छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले आवेदकों के किसी न किसी समूह पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कुछ जरूरतमंद लाभार्थी संवितरण प्रक्रिया से छूट सकते हैं।"

1.9 समिति ने आवेदकों को छात्रवृत्ति के वितरण में विलंब के बारे में अति चिंतित होने के कारण यह नोट किया कि इसके परिणामस्वरुप विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आबंटन का बड़ा भाग सिर्फ वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया जा रहा है। अत: उन्होंने अपने आठवें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि धनराशि के विरण प्रक्रिया को निश्चित समय-सीमा निर्धारित करके सुचारु बनाया जाए। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक कैलेंडर का यह देखने के लिए पूर्णत: अध्ययन किया जाए कि क्या इस योजना के अंतर्गत को समय-सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालयने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में मात्र यह बताया है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर विभिन्न प्रक्रियाओं की सभी महत्वपूर्ण तिथियों को डीबीटी मिशन द्वारा समय-सीमा के अनुसार निर्धारित किया गया है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों द्वारा मांगे गए किसी विस्तार की मुख्यत: और अधिक आवेदकों को पक्षपातपूर्ण तरीके से समायोजित करने के लिए विस्तार की गुणों के आधार पर जांच की जाती है। समिति अल्पसंख्यक छात्रों को अधिकतम संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार करती है। तथापि, वितरण में विलंब का मुद्दा केवल अपेक्षित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहां गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को संवितरण प्राधिकारी से छात्रवृत्ति राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण फीस के भुगतान नहीं किए जाने के कारण अपनी शिक्षा को रोकने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस संबंध में, समिति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रों हेतु उपलब्ध तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों का संदर्भ देना चाहेगी जहां से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं और जो छात्रों के अधिकतम लाभों हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कार्य करने काअधिकार देता है; यथा:

(एक) योजना के वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की निगरानी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा की जाएगी;

(दो) योजना में छोटे-मोटे आशोधन, यदि कोई हो तो ऐसे किसी/ईएफसी मंत्रिमंडल की सहायता किए बिना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा परंतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से किया जाएगा;

(तीन) भारत सरकार के विवेक से विनियमन में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि मंत्रालय विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन में सुधार करने तथा अधिक प्रभावी रुप से अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान में

रखते हुए परिवर्तन के सुझाव दे सकता है। समिति यह महसूस करती है कि शायद सिर्फ डीबीटी मिशन द्वारा तय समय-सीमा पर पूरा भार डालना वांछनीय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निगरानी वाले पहलू को पुन: लागू किया जा सकता है कि विस्तार प्राप्त के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम संभावना बचती है क्योंकि विस्तार प्राप्त करने के ऐसे अवसर की उपलब्धता निर्धारित समय-सीमा का पालन के लिए अपेक्षित गंभीरता का स्वर घटता है। अत: समिति यह दोहराती है कि मंत्रालय इनको सुचारु बनाने के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं पर नए सिरे से विचार करे क्योंकि अब तक संस्थानों की दो बार की पंजीकरण प्रक्रिया कथित रुप से पूरी हो चुकी है और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र भी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की परिधि में आ गए हैं।

सिफारिश (पैरा सं. 3.25)

1.10 समिति ने अपने आठवें मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:

"समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय बजट अनुमान, संशोधित अनुमान वास्तविक आंकड़ों, छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या, उन छात्रों की संख्या जिन्हें गत पांच वर्षों (वर्ष-वार) में वास्तव में छात्रवृत्ति दी गई, के संबंध में आंकड़ा सारणी रूप में प्रस्तुत करें क्योंकि यह योजना उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक अन्य समुदायों के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं।"

1.11 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई में निम्नवत सूचना दी:

"अल्पसंख्यकों के लिए तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार हैः

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना		
बजट अनुमान (करोड़ रु. में)	**संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)**	**वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)**
1040.10	1040.10	1015.72
931.00	931.00	585.94
950.00	1001.15	1108.13
980.00	1269.00	1176.19
1220.30	1199.82	1324.84
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना		
580.10	580.10	552.83
550.00	550.00	287.11
550.00	561.29	479.72
692.00	500.00	354.89
496.01	482.66	428.77
मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना		
335.00	335.00	315.00
335.00	395.00	220.54
393.54	393.54	388.79

522.00	402.00	261.17
366.43	361.51	285.63

*- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 1341.23 करोड़ रुपए था।

#- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 433.86 करोड़ रुपए था।

^- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 307.65 करोड़ रुपए था।

अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन गत 5 वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और छात्रवृत्ति स्वीकृत किए गए छात्रों की संख्या निम्नानुसार हैः

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना			
वर्ष	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**छात्रवृत्ति स्वीकृत किए गए छात्रों की संख्या**
2015-16	6982276	*	5178779
2016-17	8635428	192726	4153524
2017-18	9650248	89622	4874220
2018-19	10867611	475253	5691854
2019-20	8868738	412050	5427190
			25325567
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना			
2015-16	1730089	*	666840
2016-17	1803649	120265	624990
2017-18	1735596	56669	621321
2018-19	2007378	228941	684235
2019-20	1557700	111195	681478
			3278864
मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना			
2015-16	6982276	*	133582
2016-17	280639	26561	121858
2017-18	9650248	89622	116452
2018-19	10867611	475253	117771
2019-20	8868738	412050	115346

*- आंकड़ों का मिलान नहीं हुआ है।

1.12 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन जैसी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह पाती है कि प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है। 2019-20 में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त 88,68,738 आवेदनों में से 4,12,050 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे 54,27,190 छात्रवृत्तियां स्वीकृति की गई थीं और 30,20,498 छात्रों को छोड़ दिया गया था। समिति यह भी भी नोट करती है कि मंत्रालय ने मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1341.83 करोड़ रुपए के अंतिम अनुदान में से 1324.84 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था। अन्य दो योजनाओं के संबंध में ऐसी ही स्थिति है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि ऐसे सभी आवेदक जिन्हें न तो कोई छात्रवृत्ति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की गई थी उन्हें अपात्र माना गया था अथवा पात्र माना गया था परंतु उन्हें समायोजित नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं। समिति पाती है कि मंत्रालय द्वारा मांग के अनुसार छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने और निधि का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करे। अल्पसंख्यकों के बीच साक्षरता के मौजूदा निम्न स्तर पर स्कूल छोड़ने की उच्च दर के मद्देनजर यह अत्यावश्यक है। समिति यह महसूस करती है कि मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रतिभा और मेरिट को सहायता प्रदान करने और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय को पर्याप्त छात्रवृत्ति संख्या की उपलब्धता और निधियों के 100 प्रतिशत उपयोग का प्रयास करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्येक प्रतिभावान छात्र अपने समाज का सम्मानित सदस्य बनने के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सके।

ख. कौशल विकास पहल 'सीखो और कमाओ'

सिफारिश (पैरा सं. 5.13)

1.13 समिति ने अपने आठवें मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:

"समिति पाती है कि लघु शीर्ध सं. 102 के अधीन आवंटन अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' योजना के निरीक्षण के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेने के लिए हैं। वर्ष 2015-16 से संसाधनों के आवंटन एवं उपयोग का आंकड़ा दर्शाता है कि 2015-16 और 2017-18 में शून्य उपयोग था। 2016-17 और 2018-19 में उपयोग की स्थिति संशोधित अनुमान का क्रमशः 72 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत थी। आवंटन पद्धति से यह भी पता चलता है कि गत वर्षों के कम वास्तविक अर्थ की तुलना में परवर्ती वर्षों में आवंटन अधिक था। मंत्रालय 2015-16 और 2017-18 में शून्य उपयोग का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे सका। उसके उत्तर में 2016 और 2018-19 में निम्न उपयोग क्रमशः 28 प्रतिशत और 51.5 प्रतिशत रहा। समिति इसका उल्लेख करने के बावजूद 2018-19 में वास्तविक व्यय बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का मात्र 50 प्रतिशत था, 2019-20 में वास्तविक की दोगुनी धनराशि आवंटित की गई थी। मंत्रालय ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया। इस योजना के निरीक्षण के लिए व्यावसायिकों को लेने में मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण, वास्तव में इस शीर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए यह योजना बाधाओं को पहचानने में असफल रही है और इसलिए अल्पसंख्यकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

समिति इसको लेकर अत्यंत स्पष्ट है कि मंत्रालय ने निधियों की आवश्यकता के आकलन एवं संशोधित अनुमान स्तर पर भी संसाधनों के आवंटन को व्यय करने में अध्यवसाय नहीं किया है। यह निधियों के आवंटन एवं व्यय में मंत्रालय के पेशेवर दृष्टिकोण के अभाव एवं सरसरी दृष्टि को दर्शाता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय विलंब से निर्णय, यदि कोई हो, लेने के लिए उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करे जो इस शीर्थ के प्रभारी थे, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष-दर-वर्ष निधियों की वापसी से बचने के लिए अत्यंत गंभीरता से निधि आवश्यकता का आकलन किया जाए। समिति निधियों की वापसी की परंपरा से बचने के लिए किए गए उपायों से अवगत होना चाहती है।"

1.14 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई में निम्नवत बताया है:

"योजना के दिशानिर्देशों में ये माना गया है कि जब परियोजना चल रही हो तब निगरानी प्रगति का एक निरंतर माप होती है, जिसमें प्रगति की जाँच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों और मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। उनमें मंत्रालय के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टों की समवर्ती निगरानी और यादृच्छिक जाँच को अधिकृत करने के प्रावधान मौजूद हैं। मंत्रालय ने तदनुसार कॉल सेंटर चलाने के लिए एक एजेंसी की सेवाएं लीं, जो लाभार्थियों को बेतरतीब ढंग से कॉल करती है और उनका इनपुट लेती हैं। रिपोर्ट योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। तथापि इस खाते पर व्यय अनुमानित व्यय से कम है। मंत्रालय के अधिकारी भी फील्ड का दौरा कर परियोजनाओं की निगरानी करते हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) के निरीक्षकों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अनुदान की दूसरी किस्त जारी की जाती है। मंत्रालय योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एजेंसी की सेवाएँ लेने की प्रक्रिया में है। इसके लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) पहले ही जारी कर दिए गए हैं योजना की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु जनशक्ति की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए योजना हेतु परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना का एक और प्रस्ताव है। योजना पोर्टल में सुधार करने और इसे स्किल इंडिया पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के साथ एकीकृत करने का एक और प्रस्ताव है ताकि प्रभावी ऑनलाइन निगरानी को मजबूत किया जा सके। योजना पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि योजना को सही गति प्रदान करते हुए शीर्ष के अधीन धनराशि का उपयोग पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से किया जाता है।"

1.15 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों के दक्षता विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' स्कीम का निरीक्षण करने के लिए पेशेवरों की सेवाओं को लेने में निधियों के कम उपयोग पर टिप्पणी की थी जिसके कारण इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों को वापस करना पड़ा था। समिति ने इस पहलू पर कार्यवाही करने की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने अपने की गई कार्यवाही उत्तर में बताया है कि एम आई एस पर वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टों की निगरानी और औचक जांच के लिए एक एजेंसी से करार किया गया था जिसमें स्कीम के तहत लाभार्थियों से औचक इनपुट लेने के लिए एक कॉल सेंटर को चलाना शामिल था। समिति को आगे बताया गया कि स्कीम की प्रभावी निगरानी के लिए कई प्रस्ताव जैसे कि एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना स्कीम के मूल्यांकन के लिए एक एजेंसी को हायर करना स्कीम पोर्टल तथा पी एफ एम एस शामिल था, को बेहतर बनाना और इसे स्किल इंडिया पोर्टल के साथ जोड़ना। तथापि समिति महसूस करती है कि यह केवल प्रस्ताव मात्र है और इनका न तो अनुमोदन हुआ है न ही इनको पूरा करने के लिए कोई तय की गई तारीख या कार्य योजनाएं तय की गई हैं क्योंकि समिति को इस बारे में कुछ कोई ठोस जानकारी नहीं दी है समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और इन्हें क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों की सूचना दी जाए।

ग. वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण और जीआईएस मैपिंग

सिफारिश (पैरा सं. 7.11)

1.16 समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिशें की थी:

"समिति वक्फ बोर्डों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न कार्यकलापों अर्थात् वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संपत्तियों के पट्टे का ब्यौरा, न्यायालय के मामले का पता लगाने आदि के लिए कंप्यूटरीकृत डाटा बेस का सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए नोट करती है कि मंत्रालय ने पूरे देश में वक्फ की अचल संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग शुरु की है एवं इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक वक्फ की 50 प्रतिशत संपत्तियों का जीआईस मैपिंग करना है। समिति ने पाया कि 600723 वक्फ संपत्तियों में से केवल 31407 संपत्तियों की अभी तक मैपिंग की गई है और मार्च, 2020 के अंत तक 2,68,955 संपत्तियों का मैपिंग किया जाना है जो कि एक बड़ा कार्य है। समिति को संशय है कि क्या मंत्रालय निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूरा कर पाएगा। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है वह समिति प्रगति रिपोर्ट को जानकारी दे और एवं यदि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं होता है तो व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करे एवं समयबद्ध तरीके से जीएसआई मैपिंग का कार्य पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करे। आगे चूंकि राज्य वक्फ बोर्डों/परिषदों के कार्यकरण में पारदर्शिता सबसे बड़ी आवायकता है, समिति महसूस करती है कि सदस्यों का निर्वाचन निर्धारित अंतराल पर होने चाहिए।"

1.17 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई में निम्नवत बताया है:

"वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए गतिविधियों के स्वचलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक थी। वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग सभी राज्य वक्फ बोर्डों में युद्ध-स्तर पर शुरू की गई और विशेषज्ञ संस्थानों जैसेकि आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एएमयू अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अन्य निजी प्रतिष्ठित एजेंसियों को कार्य सौंपने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्च, 2020 तक 50% काम पूरा किया जाना था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रदान की गई एजेंसियों को सहायता एवं सहयोग

देने के लिए सभी राज्य वक्फ बोर्डों पर दबाव डालने के लिए नियमित बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए गए। हालांकि, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और क्षेत्र संबंधी अन्य समस्याओं के कारण, वक्फ संपत्तियों के 50% को पूरा करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। तथापि, 96000 वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग अब तक पूरी हो चुकी है और काम में निरंतर प्रगति हो रही है और लॉकडाउन के बीच प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है। समग्र कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित कार्य अवधि मार्च, 2022 है। सीडब्ल्यूसी का कार्यालय निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए काम सौंपी गई एजेंसियों और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ लिए इस मामले पर नियमित रूप से और लगन से कार्य कर रहा है।"

1.18 समिति नोट करती है कि वक्फ परिसंपत्तियों के जीआईएस मैपिंग के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम और राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए कंप्यूटर युक्त डेटाबेस के सृजन हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और दूसरी क्षेत्र संबंधी अन्य समस्याओं के कारण वक्फ परिसंपत्तियों के 50% जीआईएस मैपिंग के लक्ष्य को मार्च 2020 तक पूरा नहीं किया जा सका। इस उत्तर में बहुत अधिक कम नहीं है क्योंकि समिति इस तरह के अव्यावहारिक लक्ष्य से पहले से ही अवगत थी और उसने अपने मूल प्रतिवेदन में की गई सिफारिश में यह कहा था और मार्च 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया, उसको विलंब के लिए आंशिक रूप से ही उत्तरदाई ठहराया जा सकता है। अब समिति नोट करती है कि इसको पूरा करने की संशोधित लक्षित तिथि मार्च 2022 है जो अधिक वास्तविक जान पड़ती है। समिति आशा व्यक्त करती है कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद यह कार्य जारी रहेगा, विशेष रूप से तब जबकि सभी परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है। जहां तक राज्य वक्फ बोर्डों/परिषदों में नियमित अंतराल के बाद चुनाव करवाए जाने संबंधी समिति की सिफारिश का संबंध है मंत्रालय ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि वर्तमान में सभी राज्य वक्फ बोर्डों/परिषदों की स्थिति से उसे अवगत कराया जाए। इसके साथ ही मंत्रालय स्तर पर इस मामले में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएं।

अध्याय- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (पैरा 2.11)

2.1 "समिति ने यह नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान 4700.00 करोड़ रुपए के कुल बजटीय आबंटन में से दिनांक 18.02.2020 तक वास्तविक व्यय 2336.00 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान का लगभग 49.70% है तथा बजट अनुमान/संशोधित अनुमान निधियों की शेष 50.30% राशि को मंत्रालय द्वारा 31.03.2020 तक खर्च करना होगा। मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रस्तुति में स्वीकार किया कि दिसंबर, 2019 के अंत तक व्यय की बुकिंग कम है। चूंकि, समिति मंत्रालय की डीएफजी की जांच पहले भी करती रही है इसलिए वह नोट करती है कि पहले के वर्षों में यही गति रही है। मंत्रालय ने अपनी दो महत्वपूर्ण योजनाओं अर्थात् छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) को इस असमान/अनियत व्यय पद्धति का कारण बताया है जो कि निधियों का लगभग 80% जितना बड़ा हिस्सा है अर्थात् 4700 करोड़ रुपए में से लगभग 3740 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना आरंभ कर दिया गया है और इस कार्य के मार्च, 2020 तक पूरा होने की संभावना है। दूसरे, पीएमजेवीके के अंतर्गत हाल में अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा तद्नुसार मंत्रालय ने समिति को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि पूरी आबंटित राशि का उपयोग किए जाने की आशा है।"

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

2.2 वर्ष 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने पीएमजेवीके के अंतर्गत शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से उनके अपने अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों को निपटाने का भी अनुरोध किया। इन मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत की शुरूआत सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) द्वारा दिनांक 17.07.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों के साथ आयोजित एक बैठक से की गई तथा यह प्रक्रिया वर्षभर अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों, लिखित पत्र-व्यवहार के माध्यम से जारी रही।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए सतत प्रयासों के चलते, अनेक राज्य सरकारों उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मणिपुर, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मेघालय, केरल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उन राज्यों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए जो मई 2018 में इस योजना में शामिल हुए थे अर्थात् नागालैंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। इसके साथ-साथ केंद्र सरकारी संगठनों जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी इत्यादि से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए। मंत्रालय ने 4531.90 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें केंद्रीय हिस्सा 2019-20 के दौरान 3181.60 करोड़ रु. का था। वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस योजना की शुरूआत से अब तक की सर्वाधिक रही अर्थात् 1698.29 करोड़ रु. रही जो बजट अनुमान आबंटन जो केवल 1470 करोड़ रु. था, का 115.5% था। मंत्रालय की अन्य योजनाओं से हुई बचतें पीएमजेवीके में इस्तेमाल कर ली गईं क्योंकि इसमें आवश्यकता निर्धारित बजट आबंटन से अधिक हो गई थी।

छात्रवृत्ति योजनाएं

वर्ष 2019-20 के दौरान, अल्पसख्यकों के लिए बनाई गई तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में 2082.74 करोड़ रु. के बजट प्रावधान की तुलना में, कुल 2039.24 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी जो लगभग 98% है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शीर्षों के संबंध में आबंटित लगभग शतप्रतिशत बजट प्रावधान इस्तेमाल कर लिया गया था। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशासनिक व्यय के संबंध में अपेक्षाकृत कम दावों की प्राप्ति के कारण कुछ मामूली बचतें देखीं गईं।

सीखो और कमाओ

वर्ष 2019-20 के दौरान, सीखो और कमाओ प्रभाग ने इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण में लगे प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रत्यायन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पीआईए के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की ताकि मंत्रालय उन्हें निधि जारी कर सके। तथापि, एनएसडीसी के स्मार्ट इंडिया पोर्टल में कुछ समस्याएं थीं जिनके कारण वर्ष के शुरूआती दिनों में प्रत्यायन प्रक्रिया में देरी हुई। वर्ष के अंत तक आते-आते, स्मार्ट इंडिया पोर्टल स्थिर हो गया था और प्रत्यायन प्रक्रिया मंे तेजी आई जिसके चलते इस योजना के अंतर्गत नए आबंटनों के लिए निधि जारी की जा सकी। दूसरी किस्त जारी करने का कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इससे पहले कि पीआईए एनएसडीसी से प्रत्यायन

प्राप्त कर सकें, प्रशिक्षण पहले पूर्ण हो चुका था। अब से वर्षभर समान वितरण करके निधियां जारी करना युक्तिसंगत बनाए जाने की संभावना है क्योंकि प्रत्यायन प्रक्रिया निर्बाध प्रतीत हो रही है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 2.12)

2.3 तथापि, समिति पाती है कि वित्त-वर्ष की अंतिम तिमाही में इतना अधिक व्यय करना अर्थात् वर्ष की अंतिम तिमाही में बजट अनुमान स्तर का 25 प्रतिशत खर्च करना व्यय की निर्धारित सीमा के विरुद्ध जाता है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए तैयार की गई वार्षिक व्यय योजना भी यह दर्शाती है कि निधियों का 39.91% अंतिम तिमाही में उपयोग किया जाएगा। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उसे इस बारे में अवगत कराए कि क्या मंत्रालय ने व्यय विभाग से पहले ही छूट की मांग रखी है तथा इस पर विभाग की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में अन्य ब्यौरा क्या है। समिति ने यह भी नोट करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण आबंटित निधियांे को पूरा खर्च नहीं किया जा सका। इसलिए वह सुझाव देती है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों वाले राज्यों में अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जाने की जिम्मेदारी दी जाए जिन्हें समुचित प्रस्ताव तैयार करने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। आवश्यक हो तो इस मुद्दे पर संबद्ध राज्य प्राधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता ली जा सकती है।

सरकार का उत्तर

2.4 निर्धारित व्यय सीमा अर्थात् वर्ष की अंतिम तिमाही में बजट अनुमान के 25% से अधिक खर्च करने के लिए वित्त मंत्रालय से छूट प्राप्त की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान 4505.12 करोड़ रु. का व्यय दर्ज किया। **(अनुबंध- एक)**

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

पीएमजीवीके के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया व्यय 1698.29 करोड़ रुपए था, जो आवंटित बजट अनुमान 1470 करोड़ रुपए था, का 115.5% हिस्सा बैठता है। मंत्रालय की अन्य योजनाओं से हुई बचतों को पीएमजीवीके में इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए तैयार की गई वार्षिक योजना का पालन करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमजीवीके के अंतर्गत अप्रैल 2020 के महीने में ही 118.87 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इस टिप्पणी के विशेष संदर्भ में कि अधिकारियों को उन राज्यों का दौरा करने के लिए भेजा जाए जहां बड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रालय ने अपने द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमजेवीके सहित सभी योजनाओं को मॉनिटर करने के लिए फरवरी 2020 में अधिकारियों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे के संबंध में पहले ही एक रोस्टर तैयार कर लिया है। इसके अलावा, पीएमजीवीके प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समय-समय पर विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना स्थलों का दौरा करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैनात किया जाता है ताकि चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में, नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने इत्यादि में तेजी लाई जा सके।

छात्रवृत्ति योजनाएं

तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के स्वरूप के कारण, जिनके लिए अधिकांश व्यय वित्त-वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाहियों में किया जाता है, के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही/महीने के दौरान अनुमत सीमा से अधिक व्यय करने के लिए व्यय विभाग से आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने यथासमय अपेक्षित हस्तक्षेप कार्रवाई की थी। इस प्रकार, व्यय विभाग की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के चलते, यह मंत्रालय तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि का 98% हिस्सा खर्च करने में समर्थ हो पाया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 2.13)

2.5 समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग संबंधी स्थिति की नियमित अंतराल पर समीक्षा करे तथा निधियों का धीमा उपयोग करने वाले राज्यों के साथ इस मामले पर सक्रियतापूर्वक कार्रवाई करे। इसके लिए, मुख्यालय स्थित अधिकारियों के एक चुनिंदा दल को अति चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का समय-समय पर दौरा करके विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक निगरानी

का कार्य सौंपा जाए और साथ ही प्रस्तावों की जांच करने/धनराशि स्वीकृत करने में किसी परिहार्य विलंब के लिए अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में निधि का बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त न रह जाए। समिति को विश्वास है कि इससे निधियों का वांछित तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी और निधियों के नियमित रूप से कम उपयोग पर रोक लगेगी।

सरकार का उत्तर

2.6 पीएमजीवीके सहित स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी जिसमें निधि के उपयोग की निगरानी भी शामिल है, के लिए पहले से ही एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से निगरानी की सामान्य श्रृंखला के अलावा मंत्रालय निरंतर स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण और चालू करने की प्रगति और निधि के उपयोग की समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान, लिखित पत्र-व्यवहार के माध्यम से, हितधारकों के साथ सम्मेलनों/बैठकों/विचार-विमर्श आदि के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय स्तर पर, इस योजना से संबंधित एक समर्पित विभाग है जो प्रस्तावों की जांच करता है और नए मामलों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय एजेंसियों से नए प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद उन पर विचार करने और निधि जारी करने में मंत्रालय स्तर पर कोई देरी नहीं होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से निगरानी का एक मजबूत तंत्र मौजूद है। मंत्रालय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति, पर्यवेक्षक समिति के रूप में भी कार्य करती है और समय-समय पर परियोजनाओं के निर्माण और कमीशनिंग की निगरानी/समीक्षा करती है। इस योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों केे माध्यम से और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक स्थिति की आवधिक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली भी मौजूद है। पीएमजेवीके विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की समय-समय पर विशिष्ट परियोजनाओं के स्थानों पर जाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए चुनिंदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति की जाती है ताकि वे चालू परियोजनाओं की पूर्णता, उपयोग प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण, नए प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण आदि की प्रक्रिया में तेजी ला सकें। इसके अलावा, जैसा कि पैरा 2.12 की सिफारिश के उत्तर में कहा गया है, मंत्रालय ने अपने द्वारा कार्यान्वित पीएमजेवीके सहित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की यात्रा के लिए, अधिकारियों के लिए फरवरी, 2020 में अलग से रोस्टर तैयार किया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 2.14)

2.7 यह समिति को स्मरण है कि कुछ वर्षों पूर्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संबद्ध संसद सदस्य की अध्यक्षता में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा संबंधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निगरानी समितियां गठित की गई थीं। स्थानीय प्रतिनिधि, संसद सदस्य/विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से भली-भांति परिचित होते हैं और उनका फीडबैक अल्पसंख्यकों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए समिति महसूस करती है कि मंत्रालय अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के डिजाइन, परिदान, निगरानी और कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों के अनुभव का उपयोग करने के लिए है ऐसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने की संभावना तलाश सकता है। समिति का मत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुभव से राज्य सरकारों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से उपयोग प्रमाण-पत्रों और प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने के मुद्दे में सुविधा मिल सकती है जहां मंत्रालय इस विषय को प्राथमिकता देने के बावजूद इस योजना के लिए सभी सरकारों को एक साथ नहीं ला सका है। यदि मंत्रालय ऐसे मुद्दों को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ध्यान में लाता तो निधियों को वापस किए बिना ऐसे मुद्दों को हल किया जा सकता था। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय ऐसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय निगरानी समिति गठित करने पर विचार करे और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों का सम्मिलित होना भी सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

2.8 पीएमजेवीके के तहत, मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए अंतिम रूप से सिफारिश किए जाने से पहले, प्रस्तावों को ब्लॉक/नगर स्तर पर ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) की मंजूरी के साथ तैयार किया जाता हैं, तब जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के लिए सिफारिश की जाती है। बीएलसी, डीएलसी और एसएलसी वही समितियां हैं जो प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्रस्तावों पर विचार करती हैं। ये समितियां पीएमजेवीके योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं।

संसद के सभी सदस्य और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सभी सदस्य जिला स्तरीय समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति पर नामित किया जाता है।

राज्य स्तरीय समिति का प्रतिनिधित्व लोकसभा के दो संसद सदस्य और राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य सभा का एक संसद सदस्य करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा नामित विधानसभा के दो सदस्य होते हैं। इसके अलावा, लोकसभा और विधानसभा में राज्य स्तरीय समिति में शामिल सदस्य को राज्य में किसी एक अल्पसंख्यक बहुल जिले से चुना जाना चाहिए।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि जिला और राज्य स्तर पर पीएमजेवीके योजना के कार्यान्वयन में शामिल जन प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों को अगस्त 2019 में यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा कि राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के लिए नामित किए गए सांसदों को निश्चित रूप से एसएलसी और डीएलसी बैठकों के लिए समय पर आमंत्रित किया जाए और यह भी कि ये बैठकें नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जाएं।
समिति के नोटिस में यह भी लाया गया है कि पीएमजेवीके योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, पूर्वोतर क्षेत्रों के लिए 212.55 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के बरक्स 1192.85 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिनमें केंद्रीय हिस्सेदारी 1073.32 करोड़ रुपये रही है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 3.21)

2.9 समिति पूरी राशि का उपयोग करने हेतु मंत्रालय की सराहना करते हुए और वास्तव में 2017-18 में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना हेतु अधिक आवंटन की भी सराहना करते हुए नोट करती है कि बाद के

वर्षों अर्थात 2018-19 में तथा 2019-20 में निधि का कम उपयोग हुआ है जबकि 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार संशोधित अनुमान स्तर पर 82.35 प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ।

सरकार का उत्तर

2.10 वर्ष 2019-20 के दौरान, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए 1220.30 करोड़ रु. के बजट प्रावधान की तुलना में 1324.84 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई थी जो लगभग 108.57% बैठती है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 3.22)

2.11 समिति पाती है कि 2017-18 और 2018-19 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित राशि का क्रमश 15 प्रतिशत और 29 प्रतिशत कम उपयोग हुआ। वर्ष 2019-20 के लिए 496 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 482.66 करोड़ रुपए कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 79.78 करोड़ रुपए (31.12.2019 तक) जो संशोधित अनुमान का मात्र 16.55% है, तो मंत्रालय को शेष 83.45 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च करना होगा।

सरकार का उत्तर

2.12 वर्ष 2019-20 के दौरान, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 482.66 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में, 428.77 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की गई थी जो लगभग 88.83ः बैठती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति के भुगतानों के अपेक्षाकृत कम दावे प्राप्त होने के कारण कुछ बचत देखी गई क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंध में कुछ संदिग्ध आवेदन पुनर्वैधीकरण के लिए लंबित थे। पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया अब 24 अप्रैल, 2020 को पूरी कर ली गई है और 2020-21 के दौरान छात्रवृत्तियों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

शेष पात्र आवेदकों को वर्ष 2020-21 के दौरान उनकी छात्रवृत्ति की राशि संवितरित की जा रही है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 3.23)

2.13 समिति नोट करती है की मेरिट-सह-साधन (एमसीएम) छात्रवृत्ति समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, नवीनीकरण के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 60000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 2018-19 के लिए 522 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 402 करोड रुपए कर दिया गया था। तथापि 31.12.2019 तक खर्च वास्तविक 261.17 करोड़ रुपए अर्थात संशोधित अनुमान राशि का 65 प्रतिशत था। मंत्रालय ने इस कम उपयोग के निम्न कारण बताए-(एक) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 2018-19 के छात्रवृत्ति में संशोधन के उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाना और (दो) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दोहराव को रोकने तथा पुनः विधि मान्यकरण और अन्य संबद्ध प्रक्रियाएं जिसके कारण 30,570 आवेदन अस्वीकृत हुए। तथापि, मंत्रालय ने तदुपरांत समिति को सूचित किया कि अब तक 315.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तथा शेष आवेदकों को छात्रवृत्तियों का वितरण 2019-20 में जारी है। इस पृष्ठभूमि में, समिति संस्थान और साथ ही आवेदक की अधिवास वाली राज्य सरकार द्वारा पूर्व-सत्यापन कर लिए जाने के बावजूद संदिग्ध आवेदनों को इतनी बड़ी संख्या में अस्वीकृत किए जाने को समझने में असमर्थ है। चूंकि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक फर्जी संस्थान/विश्वविद्यालय सक्रिय हैं, अतः सभी राज्य/संघ क्षेत्र राज्य सरकारों को यूजीसी और एआईसीटीई तथा स्थानीय शिक्षा विभागों की वेबसाइटों से फर्जी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों का सत्यापन करने को कहा जाए। मंत्रालय से यह भी आशा है कि वह अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा संस्थानों की सत्यापन प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हो। अतः समिति आशा करती है कि वह भी ऐसे मामलों का सत्यापन करे और वे इन्हें राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा पुनःविधिमान्यकृत/अस्वीकृत किए बिना अस्वीकृत करें। इस प्रकार की कार्यवाही से फर्जी आवेदनों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने का इच्छित प्रयोजन सिद्ध होगा और इससे विधिमान्य और सुयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों की प्रक्रिया में तेजी लाने से समय की बचत होगी।

सरकार का उत्तर

2.14 स्कूल/संस्थाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं क्योंकि वे एनएसपी पर उनके आवेदनों की सत्यता की जांच करती हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा था कि एनएसपी पर पंजीकृत अनेक संदिग्ध स्कूल/संस्थाएं/विश्वविद्यालय हैं जो कुछ अपात्र आवेदकों को छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि कोई भी स्कूल/ संस्था अपने आवेदकों के आवेदनों को तभी सत्यापित कर सकती हैं यदि उसके पास वैध यू-डीआईएसई/एआईएसएचई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड हो और उसका नोडल अधिकारी उपयुक्त पहचान

प्रमाण के साथ संबंधित निर्दिष्ट राज्य/जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से एनएसपी पर पंजीकृत हो। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में लगभग 10 लाख संस्थान बाहर निकल गए जबकि पुनर्वैधीकरण के लिए भेजे गए आवेदनों की संख्या में लगभग 8 लाख की कमी हो गई।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 4.7)

2.15 समिति नोट करती है कि इस योजना का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रसिद्ध संस्थाओं में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के कौशल एवं ज्ञान की वृद्धि करना है।

सिफारिश (पैरा 4.8)

2.16 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (31.12.2019 तक) के दौरान बजट आवंटन एवं उपयोग क्रमशः 95%, 60.2% और 24.8% रहा। मंत्रालय ने निम्न निधि उपयोग का कारण, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) से प्रस्तावों का प्राप्त न होना बताया है, क्योंकि पीआईए को व्यय अग्रिम के कार्यान्वयन एवं लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतरण मॉड्यूल जो पहली बार 2018-19 में शुरू किए गए हैं, के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा समूह ख/ग सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित न करना और उसके परिणाम न आना भी एक समस्या रही हैं। समिति नोट करती है कि इसके कारण वे कोचिंग कार्यक्रम का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे। समिति को यह भी बताया गया कि 2019-20 के लिए धनराशि की पहली किस्त वर्ष 2018-19 की दूसरी किस्त के बाद ही जारी की जाएगी।

सिफारिश (पैरा 4.9)

2.17 2019-20 (31.12.2019 तक) में कम उपयोग का कारण यह था कि यूसी सहित विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था, जिसके कारण व्यय अग्रिम एवं अंतरण मॉड्यूल का उपयोग, कोचिंग कार्यक्रम के निर्धारित परिणाम, राज्य सरकारों/राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की संतोषजनक रिपोर्ट आदि जिसके बारे में मंत्रालय ने दावा किया कि प्रस्तावों की जांच एवं उन्हें मंजूरी देने में बहुत समय लगा। समिति नोट करती है कि 17 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार योजनाओं के अधीन 11.31 करोड़ रूपए व्यय किए गए तथा अनुदान सहायता जारी करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अंतिम तिमाही में 25 प्रतिशत से अधिक खर्च करने के लिए व्यय की सीमा में छूट देने का अनुरोध वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।

सिफारिश (पैरा 4.10)

2.18 समिति का मत है कि मंत्रालय ने नियमित अंतरालों पर औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर पीआईए से संपर्क/विचार-विमर्श किया होता तो निधियों को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में पीआईए के साथ औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर लगातार बातचीत की जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय अवगत कराए कि क्या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय से छूट की अनुमति प्राप्त कर ली गई या नहीं।

सरकार का उत्तर (पैरा 4.7 से 4.10)

2.19 पीआईए के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के संबंध में माननीय समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है। फरवरी, 2020 तक इस योजना के अंतर्गत व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि 52.62 करोड़ रु. की राशि का पुनर्विनियोजन करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) को दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप अंतिम अनुदान कम करके 22.63 करोड़ रु. रह गया। इस योजना के तहत संभावित व्यय को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय की छूट हेतु अनुरोध नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के तहत केवल 13.97 करोड़ रु. का व्यय दर्ज किया गया। (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 5.11)

2.20 'सीखो और कमाओ' योजना 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अल्पसख्यंक युवाओं को विभिन्न आधुनिक/तकनीकी कौशलों में उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्ति एवं बाजार क्षमता के आधार पर उन्नत करना है जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दे सके या आत्मनिर्भर बना सके। समिति नोट करती है कि 2018-19 में, 250 करोड़ रुपए के सं. अ. में से वास्तविक व्यय केवल 175.73 करोड़ रुपए रहा अर्थात् 70.29 प्रतिशत जिसके कारण 74.27 करोड़ अर्थात् संशोधित अनुमान आवंटन का 29.71% रुपए लौटाने पड़े। इसी प्रकार, 2019-20 के दौरान (31.12.2019 तक) वास्तविक व्यय 122.23 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान आवंटन का मात्र 49 प्रतिशत था। समिति पाती है कि मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित निधियों के 30 प्रतिशत वापस करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण देते हुए कि वह वित्तीय वर्ष (2019-20) की अंतिम तिमाही में 128 करोड़ रुपए की शेष धनराशि कैसे व्यय करेगी, यह बताया कि चल रही/पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए बकाया दावों को 2019-20 के शेष महीनों में प्राप्त होने की आशा है। जैसा कि प्रतिवेदन में अन्यत्र उल्लेख है। समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 25 प्रतिशत से आवंटन व्यय करना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के जारी संगत नियमों का उल्लंघन है। उसे यह बताया जाए कि क्या मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय करने हेतु वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से आवश्यक छूट प्राप्त की है। समिति का यह भी विश्वास है कि प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या योजना के लिए आवंटित लाभार्थियों की संख्या से कम होने का कारण संसाधनों का कम उपयोग है।

सरकार का उत्तर

2.21 वर्ष 2019-20 के दौरान, सीखो और कमाओ प्रभाग ने इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण में लगे प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रत्यायन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पीआईए के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की ताकि मंत्रालय उन्हें निधि जारी कर सके। तथापि, एनएसडीसी के स्मार्ट इंडिया पोर्टल में कुछ समस्याएं थीं जिनके कारण वर्ष के शुरूआती दिनों में प्रत्यायन प्रक्रिया में देरी हुई। वर्ष के अंत तक आते-आते, स्मार्ट इंडिया पोर्टल स्थिर हो गया था और प्रत्यायन प्रक्रिया में तेजी आई जिसके चलते इस योजना के अंतर्गत नए आबंटनों के लिए निधि जारी की जा सकी। दूसरी किस्त जारी करने का कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इससे पहले कि पीआईए एनएसडीसी से प्रत्यायन प्राप्त कर सकें, प्रशिक्षण पहले पूर्ण हो चुका था। निधि जारी करने की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब पहले ही पूर्ण हो चुके प्रशिक्षणों के लिए प्रत्यायन की अपेक्षा में छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय

लिया। पीआईए को कुछ भुगतान आंतरिक लेखा-परीक्षा दल की टिप्पणियों के कारण रोक दिया गया था। इस मुद्दे को इन पीआईए के संबंध में लेखा-परीक्षा इतर वर्षों के मामले अलग करके कुछ हद तक सुलझा लिया है और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन उपायों के चलते, जारी की जाने वाली राशि अब से वर्षभर समान वितरण के साथ युक्तिसंगत किए जाने की संभावना है जिससे योजना के अंतर्गत आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 5.12)

2.22 समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय (प) 2013-14 से 2016-17 तक (वर्षवार) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का आंकड़ा; (पप) योजना शुरु होने के समय से प्रशिक्षित, नियोजित, स्व नियोजित लाभग्राहियों का अलग-अलग एवं वर्ष-वार संख्या; और (पपप) लाभग्राहियों की रोजगार स्थिति की निगरानी तंत्र पर टिप्पणी प्रस्तुत करे। इसी के साथ समिति सुझाव देती है कि कतिपय राज्य केन्द्रित व्यापार/व्यवसाय की अच्छी संभावना होती है जिन पर यहां इस योजना के अधीन शायद कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में होमस्टे परियोजनाएं जो घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं या जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विलो क्रिकेट बैट मेकिंग जैसी परियोजनाएं जिनका देशव्यापी बाजार हो सकता है। ऐसे लाभकारी व्यवसाय के लिए आवश्यक समावेशन/उन्नयन स्थानीय अल्पसंख्यक जनसंख्या के लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उसे मंत्रालय के मत एवं इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.23 (ii) वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के आंकड़े (वर्ष-वार) निम्नवत हैः-

पिछले वर्षों में हासिल उपलब्धियां		
वर्ष	**बजट अनुमान (करोड़ रु. में)**	**वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)**
2013-14	17.00	17.00
2014-15	46.23	46.21
2015-16	192.45	191.96
2016-17	210.00	204.93

(ii) योजना की शुरूआत से प्रशिक्षित, रोजगाररत, स्व-रोजगाररत लाभार्थियों की अलग-अलग और वर्ष-वार संख्या निम्नवत हैः-

पिछले वर्षों में हासिल उपलब्धियां		
वर्ष	**प्रशिक्षित**	**नियोजित (रोजगाररत) ***
2013-14	19524	15247
2014-15	20686	15694
2015-16	96494	45496
2016-17	53240	47947

* इन आंकड़ों में स्व-रोजगाररत लाभार्थी शामिल नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण के बाद स्व- रोजगारत लाभार्थियों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(iii)iii) लाभार्थियों की रोजगार स्थिति को मॉनीटर करने के तंत्र पर टिप्पणी :

लाभार्थियों की नियोजन प्रास्थिति को पीआईए द्वारा सीखो और कमाओ पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इसमें स्व-रोजगाररत प्रास्थिति शामिल नहीं की जाती।

चूंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्थक रोजगार मुहैया कराना है, इसलिए पीआईए द्वारा अनिवार्यतः पूरी की जाने वाली सामान्य नियोजन शर्तों में सभी अभ्यर्थियों को नियोजन सहायता और परामर्श देना शामिल है। नियोजन पश्च सहायता (पीपीएस) का प्रावधान है ताकि अभ्यर्थियों को रोजगार के शुरूआती महीनों में उनकी जरूरतें पूरी करने और कामकाज में स्थापित होने में सहायता दी जा सके। तरजीही तौर पर, नियोजन संगठित क्षेत्र में होना चाहिए जहां भविष्य निधि, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि जैसे सहबद्ध लाभ भी हो लेकिन चूंकि कुछ क्षेत्र जैसे कि निर्माण क्षेत्र बहुत संगठित नहीं है लेकिन उसमें भुगतान अधिकांशतः संगठित क्षेत्र से अधिक होते है; इसलिए, असंगठित क्षेत्रों की नौकरियों पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि कोई नौकरी विशेष उस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कौशल को मान्यता दे और भावी प्रगति का कोई वैध रूप पेश करें। असंगठित क्षेत्र में नियोजन पर तभी विचार किया जाता है यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं-

(क) राज्य की न्यूनतम मजदूरी अदा करने का प्रस्ताव पत्र।

(ख) नियोजक से लिया गया प्रमाण-पत्र की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार दी गई है।

(ग) नौकरी पूरी तरह अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उसमें स्थिरता होनी चाहिए।

इसके अलावा, किसी भी अभ्यर्थी को तभी नियोजित किया गया समझा जाता है यदि वह प्रशिक्षण के बाद कम से कम तीन महीने तक लगातार नौकरी में बना रहे।

निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज नियोजन का प्रमाण माना जाता हैः-

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची।
2. अभ्यर्थी के बैंक खाते का लेखा-विवरण जिसमें वेतन जमा किया गया दिखाई दे।
3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे से युक्त पत्र।

पीआईए को नियोजन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए अभ्यर्थियों का ट्रैक रखने और नई नौकरी में उनके बने रहने पर नज़र रखनी होती है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैराग्राफ सं. 6.10)

2.24 समिति योजनाओं के अंतर्गत पीएमजेवीके परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय विभागों/ संगठनों/पीएसयू/विश्वविद्यालयों आदि को अनुमति देकर योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए तथा अभिज्ञात पिछले अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में नए विद्यालय खोलने स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रोत्सासाहित करने के लिए अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ योजनाएं के अभिसरण शुरु करने के संबंध में कदम उठाने के लिए मंत्रालय की सराहना करती है। लेकिन इसी के साथ समिति चाहती है कि मंत्रालय अस्पताल भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के निर्माण पर विशेष ध्यान दे क्योंकि योजना के अंतर्गत ये क्षेत्र पीछे चल रहे हैं क्योंकि 2018-19 के दौरान कुल 1156.07 करोड़ रुपए के व्यय में से इन क्रियाकलापों पर केवल 68.40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य, बाल और मातृ देखभाल परियोजनाओं पर उचित ध्यान दिया जाए क्योंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय की जीवन दशाओं में समाप सुधार करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वह यह भी चाहती है कि मंत्रालय प्रक्रियागत मुद्दों पर ध्यान दे जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे हैं जिससे आवंटित संसाधनों का कम उपयोग हो पाता है।

सरकार का उत्तर

2.25 समिति की सिफारिश के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पुनर्संरचित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मई 2018 से लागू किया गया है। पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास। वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय द्वारा 2506.53 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिसमें केंद्र का हिस्सा 1551.54 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में मंजूर की गई परियोजनाएं कुल परियोजनाओं की राशि का 74.76% बैठता है। इनमें 57 स्वास्थ्य केंद्र, 833 आंगनवाड़ी केंद्र, 13 कॉलेज और 18 आईटीआई शामिल हैं। समिति ने पाया कि वर्ष 2018-19 के दौरान, 68.48 करोड़ रु. का व्यय केवल तीन प्रकार की स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए किया गया अर्थात् अस्पताल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए। वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने 4378.54 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें केंद्र का हिस्सा 3104.08 करोड़ रु. था जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की परियोजनाएं 2578.67 करोड़ रु. की थी और यह राशि कुल परियोजनाओं के मूल्य का 83.07% बैठती है। मंजूर की गई परियोजनाओं में 3 अस्पताल भवन, 273 स्वास्थ्य केंद्र, 94 आंगनवाड़ी केंद्र, 09 कॉलेज और 16 आईटीआई शामिल हैं। यह भी देखा जा सकता है कि आबंटित संसाधनों का किसी भी प्रकार अल्प उपयोग नहीं किया गया है।
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 7.9)

2.26 समिति नोट करती है कि वक्फ संपत्ति रिकार्ड का शत-प्रतिशत डिजिटीकरण करने के लिए 100 दिनों के अभियान में (5 जुलाई से 15 अक्तूबर, 2019) राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) को दैनिक आधार पर कार्य में लगाने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रयास किए गए थे। चूंकि कंप्यूटरीकरण योजना में एसडब्ल्यूबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई नए घटकों को जोड़ा गया है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि राज्यवार काम की प्रगति की तुलना में निधि प्रवाह की सघनता से निगरानी करने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

2.27 सभी राज्य वक्फ बोर्डों में वक्फ संपदा के रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से सभी राज्य वक्फ बोर्डों में युद्ध स्तर पर लागू किया गया था और कैबिनेट सचिव के कार्यालय में आगे प्रस्तुत करने के लिए साप्ताहिक आधार पर प्रगति को अद्यतन किया गया। लक्ष्य योजना के अनुसार काम पूरा कर लिया गया है और 330 वक्फ संपदा के दस्तावेजों को

डब्ल्यूएएमएसआई (वामसी) ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किया गया है। कंप्यूटरीकरण-योजना में जोड़े गए नए घटक के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में गतिविधियों के स्वचल और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 23 राज्य वक्फ बोर्ड को 6.91 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। कार्यक्रम के तहत, राज्य बोर्डों को सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय-सह-कानूनी सहायक, लेखाकार, कानूनी सहायता अधिकारी, सर्वेक्षण सहायक और क्षेत्रीय वक्फ अधिकारी के रूप में कार्मिक प्रदान किए गए हैं। कार्यकरण के संबंध में समग्र प्रगति राज्य वक्फ बोर्डों में हो रही है क्योंकि बोर्डों ने अब अपने कामकाज में आईटी एप्लीकेशन को लागू कर लिया है। सीडब्ल्यूसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर समीक्षा बैठकों, दिल्ली में अखिल भारतीय वक्फ सम्मेलन के आयोजन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से भी धन के उपयोग और इसके बहिर्वाह की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, परिषद नियमित रूप से परिश्रम के साथ योजना की समग्र प्रगति की निरंतर निगरानी कर रही है और इससे होने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 7.10)

2.28 समिति यह भी नोट करती है कि रिकार्डों को ठीक करने के लिए किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 9 राज्य वक्फ बोर्डों में मंत्रालय के डब्ल्यूएएमएसआई पोर्टल में दर्ज की गई संख्या की तुलना में उपलब्ध वक्फ संपदाओं की संख्या में विसंगति पाई गई है। सीडब्ल्यूसी ने इन आंकड़ों के समाशोधन के लिए मामले को 9 राज्य वक्फ बोर्डों के समक्ष कथित रूप से उठाया है और परिषद् के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। समिति चाहती है कि मंत्रालय/सीडब्ल्यूसी 9 राज्य वक्फ बोर्डों से स्पष्टीकरण लेने और इनकी यथाशीघ्र जांच के लिए मामले पर पहल करे।

सरकार का उत्तर

2.29 राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध वक्फ संपदा की संख्या और मंत्रालय के वामसी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज संख्या में विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले को 9 राज्य वक्फ बोर्डों के साथ उठाया गया था। संबंधित बोर्डों को वामसी ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ संपदा के रिकॉर्ड की गहन जांच करने की सलाह दी गई थी। बोर्डों को निदेश दिया गया है कि यथा उल्लिखित विसंगतियों को दूर करने के लिए आंकड़ों का मिलान करें। संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों को भी याद दिलाया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए अवगत कराया है कि

मामला नियमित अनुनय के अधीन है तथा बोर्डो को जुलाई, 2020 तक मामले का हल करने के लिए कहा गया है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 8.7)

2.30 परंपरागत कला/शिल्प कला में विकसित कौशल और प्रशिक्षण (यूएसटीटीएडी) 2015 में शुरू किया गया था जिसका इसका उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों/दस्तकारों का क्षमता निर्माण और उनके परंपरागत कौशल का उन्नयन, अल्पसंख्यकों के चिन्हित परंपरागत कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन, परंपरागत कौशल का मानक निर्धारित करना, अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न चिन्हित परंपरागत कलाओं/शिल्पों आदि में प्रशिक्षण देना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ सर्वाधिक बेशकीमती और विलुप्त होने वाली कला और शिल्प जो शताब्दियों से अस्तित्व में हैं, के संरक्षण में अल्पसंख्यक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इस योजना का उद्देश्य सराहनीय है। तथापि, समिति को यह जानकर निराशा है कि 2017-18 से आवंटित संसाधन के उपयोग से पता चलता है कि आरई स्तर पर आवंटन में वृद्धि के बावजूद बढ़े हुए आरई की तुलना में वास्तविक व्यय बहुत कम हुआ है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (31.12.2020 तक) के दौरान आरई की तुलना में उपयोग में कमी क्रमशः 7.20 करोड़ रु., 18.74 करोड़ रु. और 31 करोड़ रु. रही। पिछले वर्षों में निधि वापस करने के बावजूद परवर्ती वर्षों में उच्च आवंटन किए गए थे।

मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान निधियों के कम उपयोग का कारण परियोजना क्रियान्वयन एजेसियों (पीआईए) से समुचित और व्यावहारिक प्रकार प्राप्त न होना बताया। 2018-19 के लिए उच्च आवंटन इस अवधि में पहली किस्त के लिए कथित रूप से अतिरिक्त निधि जारी करने के कारण हुआ था। तथापि, मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि निधि फरवरी, 2019 अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19 के आरंभ होने के दस माह बाद दिया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए नवीनतम व्यय के आंकड़ों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि 31 जनवरी, 2020 तक 29.25 करोड़ रु. व्यय किए गए थे एवं व्यय में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। समिति ने वित्त वर्ष के अगले दो महीनों में रोष धनराशि व्यय करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया है।

समिति मंत्रालय की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि समुचित और व्यावहारिक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 2017-18 में निधि वापस की गई। समिति पुरजोर महसूस करती है कि योग्य कुशाल

शिल्पकारों/कलाकारों की कोई कमी नहीं है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है बशर्ते उन्हें ऐसी उपलब्ध सहायता की जानकारी हो। यदि मंत्रालय ने व्यापक प्रचार-प्रसार किया होता, जागरुकता अभियान चलाया होता और उस प्रतिनिधियों जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की वास्तविक जानकारी होती है, से तालमेल स्थापित किया होता तो इस प्रयोजन के लिए अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त कर होते। तद्नुसार समिति विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वर्तमान योजनाओं के जागरुकता में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

2.31 समिति की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए विधिवत नोट कर लिया गया है। जहां तक वित्त वर्ष 2019-20 का संबंध है, उस्ताद योजना के अंतर्गत किया गया व्यय 54.48 करोड़ रु. था जो संशोधित अनुमान के चरण पर 60.00 करोड़ रु. के बजट आवंटन का 90.80 प्रतिशत है। कोविड-19 के फैलाव के कारण उपजी अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए, निधि के शत-प्रतिशत उपयोग में बहुत मामूली कमी ही आई। मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिए एफएम चैनल सहित ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क और देशभर में वेबसाइटों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना समेत अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से मल्टीमीडिया अभियान चलाए हैं। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में पॉकेट बुकलेट और पेंफलेट हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशित की जाती हैं। राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय समन्वय और समीक्षा सम्मेलन भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं जहां अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय की योजनाओं के बारे में सूचना मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, हुनर हाट आयोजित करके भी आउटडोर प्रचार किया जा रहा है। यह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और राज्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की भी सहायता करता है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 8.8)

2.32 समिति इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि 2018-19 के दौरान इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित आवश्यक निधि प्राप्त होने में लगभग 10 महीने लग गए। परिणामस्वरूप इस वर्ष भी निधि वापस करनी पड़ी। समिति का मत है कि आवंटित अतिरिक्त निधि की प्राप्ति के लिए दस माह का समय बहुत लंबा होता है। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अतिरिक्त धनराशि समय से पूर्व प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ पर्याप्त और निरंतर पत्र व्यवहार नहीं किया अन्यथा उसी

वर्ष में निधि का उपयोग हो गया होता। अतः समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा अनुस्मारक के रूप में वित्त मंत्रालय को भेजे गए पत्रों और उन पर वित्त मंत्रालय से प्राप्त उत्तर की प्रतियाँ प्रस्तुत करें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय निर्धारित समय-पूर्व आवंटित राशि प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकारियों के साथ नियमित पत्राचार/संवाद करते हुए ऐसे मामलों में ठोस प्रयास करे ताकि इसका भुगतान उसी वर्ष में किया जा सके।

समिति के इस प्रश्न पर कि क्या मंत्रालय वित वर्ष की अंतिम तिमाही में 51.78 प्रतिशत निधि का उपयोग कर पाएगा, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि वित्त वर्ष 2019-20 के दो शेष तीन महीने में धनराशि का उपयोग हो जाएगा। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में लागू उच्चतम सीमा (आवंटित राशि का 25 प्रतिशत) के मद्देनजर समिति चाहती है कि मंत्रालय समिति को अवगत कराए कि क्या व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) से कोई छूट ली गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा समिति को दिया जाए।

सरकार का उत्तर

2.33 अतिरिक्त निधियां पूरक अनुदान मांगों के अंतिम बैच में किसी वित्त वर्ष विशेष के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान के रूप में मांगी जाती है जो आमतौर पर वित्त वर्ष के समापन पर अर्थात बजट सत्र में संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही मार्च के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध होती है। तद्नुसार वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः 20.00 करोड़ रु. और 10 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियां केवल क्रमशः मार्च, 2019 और मार्च 2020 में ही उपलब्ध हो पाई। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने के लिए विधिवत छूट प्राप्त कर ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उस्ताद योजना के अंतर्गत किया गया व्यय 54.48 करोड़ रु. का था जो संशोधित अनुमान के चरण पर 60.00 करोड़ रु. के बजट आवंटन का 90.80 प्रतिशत है। कोविड-19 के फैलाव के कारण उपजी अप्रत्याशित स्थिति के चलते निधि के शत-प्रतिशत उपयोग में केवल मामूली कमी ही आई। वित्त वर्ष 2018-19 के संबंध में व्यय 31.26 करोड़ रु. रहा जो वस्तुतः बजट अनुमान के 100 प्रतिशत से अधिक और संशोधित अनुमान का 62 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए निधि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि दिनांक 10.03.2019 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी आचार संहिता लागू कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय से प्राप्त पत्र **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 9.8)

2.34 समिति नोट करती है कि ये प्रावधान अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए लाभप्रद विषयों पर अनुसंधान करने के लिए एवं उर्दू भाषा में अल्पसंख्यकों से जुड़ी केन्द्र सरकार की योजनाओं संबंधी पुस्तिका आदि जैसी सामग्री के प्रशासन के लिए है। तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2017-18 और 2018-19 के दौरान इस प्रयोजन के लिए मात्र एक रुपए भी खर्च नहीं किए गए। शून्य/निम्न वास्तविक व्यय के बावजूद 2015-16 से परवर्ती वर्षों में बीई स्तर पर उच्च धनराशि आवंटित की गई थी जो वित्तीय बुद्धिमत्ता के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं दर्शाता है। मंत्रालय ने 2015-16 के दौरान एक रुपए भी खर्च न करने का भी कोई भी कारण नहीं बताया। चूंकि शुरू किए गए प्रस्ताव प्रक्रियागत खामियों के कारण परवान नहीं चढ़ पाए इसलिए मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी राशि वापस करनी पड़ी थी। इसके अलावा मंत्रालय ने 2018-19 में एक भी रुपए वर्ष न करने का कोई कारण नहीं बताया। तथापि, मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए अल्पसंख्यक से जुड़ी केन्द्र सरकार की योजनाओं हेतु उर्दू में पुस्तिका के प्रकाशन पर निधि व्यय की थी।

समिति नोट करती है कि हालांकि धनराशि बहुत कम है तथापि महत्वपूर्ण कार्यों अर्थात् मंत्रालय का विभिन्न योजनाओं के लिए जागरुकता सृजन सामग्री के लिए आवंटन किया गया है। समिति का मत है कि मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए उस गंभीरता के साथ निधि का उपयोग नहीं किया है जितना करना चाहिए था और समिति ने प्रतिवेदन में कई अन्य जगह पाया कि बहुत सी योजनाओं में लक्षित लाभार्थियों से प्रस्ताव के अभाव में निधि का व्यय नहीं हुआ। कम उपयोग हुआ बल्कि यह सभी वर्तमान योजनाओं की जानकारी के अभाव में हुआ। यदि समिति ने अभिलक्षित प्रयोजनों के लिए संसाधनों का व्यय किया होता तो जागरुकता सृजन बहुत अधिक हो गया होता और इसके परिणामतः हितधारकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए होते। अतः समिति सिफारिश करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, कला/शिल्प/पारंपरिक कौशल के संरक्षण आदि के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आवश्यक अनुसंधान वाले क्षेत्रों की पहचान के कदम उठाए जाएं और इस महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.35 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मामलों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने को अत्यधिक प्राथमिकता और महत्व देता है। एनसीएम के सदस्य नियमित रूप से विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीधे आम जनता तक पहुँचते हैं। हालांकि, अनुपालन

के लिए माननीय समिति की सिफारिश को नोट किया गया है और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अनुसंधान है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए 1,38,600/- रु. की राशि खर्च की गई थी। एनसीएम चालू वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान प्रकाशन शीर्ष के से पूर्ण बजट का उपयोग करने के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 9.18)

2.36 समिति नोट करती है कि 2015-16 से आई की तुलना में वास्तविक निधि का कम उपयोग के बावजूद विशिष्ट वर्ष में उच्च आवंटन किए गए थे। मंत्रालय ने भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (सीएलएम) की रिपोर्ट, जिसे तैयार किया जा रहा है, में निधियों का कम/शून्य उपयोग दर्शाया है। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि रिपोर्ट तैयार करने के बहाने पर पिछले पांच वर्षों में अल्प राशि का भी उपयोग नहीं किया जा सका। समिति इस विशिष्ट रिपोर्ट के बारे में अवगत होना चाहती है जिसे तैयार किया जा रहा है और समिति यह भी जानना चाहती है कि रिपोर्ट तैयार करने में लगे छह वर्ष का समय क्यों लग गया।

सरकार का उत्तर

2.37 सीएलएम कार्यालय भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर विचार करता है जो व्यक्तियों/समूहों/संगठनों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के संज्ञान में लाए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों/उपराज्यपालों और संबंधित अधिकारियों के साथ, जहां आवश्यक हो, चर्चा की जाती है। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग को सम्बंधित विषय पर भाषाई अल्पसंख्यकों के उप/सहायक आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जून 2015 तक 52 रिपोर्टें भाषाई अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में आंकड़े एक प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए हैं और इसे 2018 तक संकलित किया गया है। जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए डेटा एकत्र किया जा रहा है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। तथापि, अनुच्छेद 350 बी(2) के तहत परंतुक के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति को रिपोर्ट नियमित भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के नियुक्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

अध्याय- तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (पैरा 9.14)

3.1 भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के लिए 'कार्यालय व्यय' मद हेतु आवंटित निधियों के आवंटन और उपयोग पैटर्न से पता चलता है कि मंत्रालय 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान आरई स्तर पर आवंटन का क्रमशः 57 प्रतिशत, 43 प्रतिशत और 70 प्रतिशत उपयोग कर पाया है। इसके अलावा 2016-17 से 2019-20 तक परवर्ती वर्षों में बहुत कम व्यय होने के बावजूद बहुत अधिक आवंटन किए गए थे। 2016-17 के दौरान आरई का 43 प्रतिशत राशि लौटाने संबंधी मंत्रालय के उत्तर में केवल यह बताया गया कि निधि का उपयोग बिना कोई विशेष कारण बताए नहीं किया जा सकता।

2017-18 के लिए अधिक उच्च आवंटन किया गया था और विशेष रूप से 2016-17 में आरई आवंटन की 43 प्रतिशत राशि वापस की गई थी, किंतु 2017-18 के दौरान आरई आवंटन का 57 प्रतिशत उपयोग किया गया था। मंत्रालय के उत्तर में 2017-18 के लिए अधिक आवंटन का कोई कारण नहीं बताया गया एवं धन के कम उपयोग के लिए कर्मचारियों की कम संख्या का कम उपयोग, पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती का अभाव जैसे कारण दिए गए हैं। इसी तरह 2018-19 में कम उपयोग तथा 2019-20 में बीई स्तर पर उच्च आवंटन के आधार पर सूचित किया गया था कि आवंटन बढ़े हुए कार्यकलापों जैसे खाली पदों को भरने, कार्यालय प्रांगण का पुनरुद्धार करने आबंटन और कार्यालय के उपकरणों आदि को बदलने के लिए किया गया था।

समिति का मत है कि इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय का आवंटन और व्यय पैटर्न लापरवाही भरा प्रतीत होता है और निधि आवंटन से पूर्व संगत कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा जिसका उपयोग पिछले पांच वर्षों में नहीं किया जा सका। समिति का मत है कि कम उपयोग के लिए जिम्मेदार कारकों में कर्मचारी संख्या, सेवानिवृत्ति, भर्ती में विलंब आदि प्रमुख हैं क्योंकि सेवानिवृत्तियों, रिक्तियों और भर्ती के लिए समय आदि का आंकड़ा उनके पास उपलब्ध है तथापि संसाधनों के व्यय के लिए पर्याप्त स्रोत होने से पिछले पांच वर्षों में बड़ी मात्रा में निधि वापस की गई है। अतः समिति सिफारिश करती है कि आवश्यकता का समुचित मूल्यांकन, सुनिश्चित किया जाए और आरई स्तर उनकी समीक्षा की जाए और कम से कम आरई स्तर पर निधियों के उपयोग हेतु समुचित उपाय किए जाएं।

सरकार का उत्तर

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 350ख के अंतर्गत

"(1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और इन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।"

(3) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में जाना जाता है, और यह पद 1957 में बनाया गया था। वर्ष 2015 तक, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय इलाहाबाद से कार्यरत था और 1 जून, 2015 से इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और यह वर्तमान में भवन संख्या 14/11 और 15/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली से कार्यरत है। वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यालय के नवीकरण और कर्मचारियों के लिए नए फर्नीचर और कंप्यूटरों की खरीद का प्रस्ताव भी तत्कालीन भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के विचाराधीन था। लेकिन, तत्कालीन भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त ने अप्रैल, 2016 में अपना प्रभार छोड़ दिया और वर्तमान में यह पद रिक्त है। इसके अलावा, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की स्टाफ संख्या भी कम हो गई है क्योंकि रिक्त पद (जो गैर-कैडर पद हैं) को मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना आवश्यक है और ऐसे पदों को भरने में आम तौर पर समय लगता है, विशेषकर इसलिए भी क्योंकि अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक नहीं होते।

(4) उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित धन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। माननीय समिति की टिप्पणी को नोट किया गया है, और यह आश्वासन दिया जाता है कि बजट अनुमान के चरण पर ही भाषाई अल्पसंख्यक आयोग द्वारा धन की वास्तविक आवश्यकता आकलित करने में उचित सावधानी बरती जाएगी।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

अध्याय- चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (पैरा 3.24)

4.1 समिति का मत है कि किसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदकों/लाभार्थियों के सत्यापन और विधिमान्यकरण और किसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के मामले में भी बेईमानी और अपात्र अभ्यर्थियों को हटाने के लिए योजना का अभिन्न भाग है। समिति का मत है कि इस पहलू को कम से कम संशोधित अनुमान आवंटन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए जो सामान्यतः सितंबर/अक्टूबर के महीने में होता है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी मत है कि सत्यापन और विधिमान्य जांच में विलंब के कारण धनराशि को वापस करने से पात्र अभ्यर्थियों को स्थिति के भुगतान में देरी हो सकती है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि आवेदकों द्वारा गांवों के सत्यापन और विधिमान्यकरण के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट समय-सीमा के साथ योजना के अंतर्गत धनराशि के वितरण को सुचारू बनाया जाए जिससे कि पात्र आवेदकों को उसी वर्ष छात्रवृत्रियों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने इच्छा प्रकट की कि छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए निधियों को वापस करने के बजाय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्राओं को यदि कोई हो, तो अंक प्रतिशत मानदंड में छूट देकर छात्राओं को छात्रवृत्ति संवितरित कर सकते हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय उन्हें समुचित सलाह दे सकता है क्योंकि यदि माता-पिता उनकी फीस दे पाने की स्थिति में नहीं आते हैं तो छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी होती है।

सरकार का उत्तर

4.2 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, पुनर्वैधीकरण, भुगतान और अन्य संबद्ध प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण तारीखें उच्चतम स्तर पर डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित काल क्रम के अनुसार तय की जाती हैं और सभी हितधारकों को काफी पहले से सूचित कर दी जाती हैं। फिर भी, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी न किसी कारणवश उपर्युक्त किसी अथवा सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है ताकि मूल रूप से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकाधिक आवेदकों को शामिल किया जा सके। मंत्रालय ऐसे अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच करता है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें डीबीटी को भेज देता है।

जहां तक अंकों के प्रतिशत के मानदंडों में छूट देकर छात्राओं को छात्रवृत्ति संवितरित करने का संबंध है, यह उल्लेख है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, छात्राओं को 5257% छात्रवृत्तियां मंजूर/संवितरित की गईं।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैरा 3.26)

4.3 प्रस्तुत सूचना से समिति पाती है कि 2019-20 के दौरान (दिसंबर, 2019 के अंत तक) इस प्रयोजनार्थ संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित निधि का केवल 18 प्रतिशत का उपयोग किया गया था और शेष 82 प्रतिशत निधि को वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में खर्च करने के लिए छोड़ दिया गया था। इस संख्या में फरवरी, 2020 तक 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च करने हेतु आवंटित कुल निधि का निर्धारित सीमा अर्थात् 25 प्रतिशत से अब भी बहुत अधिक है। समिति को बताया गया था कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समय-सीमा इस प्रकार बनाई गई है कि व्यय वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में ही शुरु होता है तथा अधिक व्यय वित्तीय वर्ष की तीसरी एवं चैथी तिमाही में ही होता है। तथापि, उत्तर में इस पर कुछ नहीं कहा गया है कि क्या मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष की तीसरी एवं चैथी तिमाही में अधिक व्यय के लिए व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) से आवश्यक छूट प्राप्त कर ली है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि उसे मंत्रालय से ऐसी छूट की प्रतियां दी जाएं। साथ ही अव्यावहारिक समय-सीमा का सविस्तार अध्ययन किया जाए और यह देखा जाए कि क्या योजना के अंतर्गत समय-सीमा को पहले किया जा सकता है। समिति सिफारिश करती है कि यह कार्य इस वर्ष किया जाए और इसके बाद टिप्पणियां की जाएं।

सरकार का उत्तर

4.4 वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही/माह के दौरान व्यय की अनुमेय सीमा छूट के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। **(अनुबंध- दो)**

जहां तक अल्पसंख्यकों के लिए तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाने का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन, पुनर्वैधीकरण, भुगतान और अन्य संबद्ध प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण तारीखें डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय में सर्वोच्च स्तर पर तैयार की गई समय-सीमा के अनुसार ही तय की जाती है और सभी स्टेक-होल्डरों को काफी पहले सूचित कर दिया जाता है। फिर भी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी न किसी कारणवश उपर्युक्त में से कोई या सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है ताकि मुख्यतः अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक से अधिक

आवेदकों को शामिल किया जा सके। शीर्ष पर होने के नाते मंत्रालय को प्रत्येक अनुरोध पर तर्कसंगत ढंग से विचार करना और अधिकांशतः उनके पक्ष में देखना पड़ता है क्योंकि इसका छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले आवेदकों के किसी न किसी समूह पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कुछ जरूरतमंद लाभार्थी संवितरण प्रक्रिया से छूट सकते हैं।
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय- एक का पैरा संख्या 1.9 देखें)

सिफारिश (पैरा 3.25)

4.5 समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय बजट अनुमान, संशोधित अनुमान वास्तविक आंकड़ों, छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या, उन छात्रों की संख्या जिन्हंे गत पांच वर्षों (वर्ष-वार) में वास्तव में छात्रवृत्ति दी गई, के संबंध में आंकड़ा सारणी रूप में प्रस्तुत करें क्योंकि यह योजना उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक अन्य समुदायों के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं।

सरकार का उत्तर

1.6 अल्पसंख्यकों के लिए तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार हैः-

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना			
वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
2015-16	1040.10	1040.10	1015.72
2016-17	931.00	931.00	585.94
2017-18	950.00	1001.15	1108.13
2018-19	980.00	1269.00	1176.19
2019-20*	1220.30	1199.82	1324.84
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना			

2015-16	580.10	580.10	552.83
2016-17	550.00	550.00	287.11
2017-18	550.00	561.29	479.72
2018-19	692.00	500.00	354.89
2019-20#	496.01	482.66	428.77
मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना			
2015-16	335.00	335.00	315.00
2016-17	335.00	395.00	220.54
2017-18	393.54	393.54	388.79
2018-19	522.00	402.00	261.17
2019-20^	366.43	361.51	285.63

*- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 1341.23 करोड़ रुपए था।

*- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 433.86 करोड़ रुपए था।

*- निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान 307.65 करोड़ रुपए था।

अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन गत 5 वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और छात्रवृत्ति स्वीकृत किए गए छात्रों की संख्या निम्नानुसार हैः

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना			
वर्ष	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**छात्रवृत्ति स्वीकृत किए गए छात्रों की संख्या**
2015-16	6982276	*	5178779
2016-17	8635428	192726	4153524
2017-18	9650248	89622	4874220
2018-19	10867611	475253	5691854
2019-20	8868738	412050	5427190
			25325567
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना			
2015-16	1730089	*	666840
2016-17	1803649	120265	624990

2017-18	1735596	56669	621321
2018-19	2007378	228941	684235
2019-20	1557700	111195	681478
			3278864
मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना			
2015-16	6982276	*	133582
2016-17	280639	26561	121858
2017-18	9650248	89622	116452
2018-19	10867611	475253	117771
2019-20	8868738	412050	115346

* -आंकड़ों का मिलान नहीं हुआ है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय- एक का पैरा संख्या 1.12 देखें)

अध्याय- पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं

सिफारिश (पैरा 5.13)

5.1 समिति पाती है कि लघु शीर्ष सं. 102 के अधीन आवंटन अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' योजना के निरीक्षण के लिए व्यावसायिक सेवाएं लेने के लिए हैं। वर्ष 2015-16 से संसाधनों के आवंटन एवं उपयोग का आंकड़ा दर्शाता है कि 2015-16 और 2017-18 में शून्य उपयोग था। 2016-17 और 2018-19 में उपयोग की स्थिति संशोधित अनुमान का क्रमशः 72 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत थी। आवंटन पद्धति से यह भी पता चलता है कि गत वर्षों के कम वास्तविक अर्थ की तुलना में परवर्ती वर्षों में आवंटन अधिक था। मंत्रालय 2015-16 और 2017-18 में शून्य उपयोग का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे सका। उसके उत्तर में 2016 और 2018-19 में निम्न उपयोग क्रमशः 28 प्रतिशत और 51.5 प्रतिशत रहा। समिति इसका उल्लेख करने के बावजूद 2018-19 में वास्तविक व्यय बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का मात्र 50 प्रतिशत था, 2019-20 में वास्तविक की दोगुनी धनराशि आवंटित की गई थी। मंत्रालय ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया। इस योजना के निरीक्षण के लिए व्यावसायिकों को लेने में मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण, वास्तव में इस शीर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए यह योजना बाधाओं को पहचानने में असफल रही है और इसलिए अल्पसंख्यकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

समिति इसको लेकर अत्यंत स्पष्ट है कि मंत्रालय ने निधियों की आवश्यकता के आकलन एवं संशोधित अनुमान स्तर पर भी संसाधनों के आवंटन को व्यय करने में अध्यवसाय नहीं किया है। यह निधियों के आवंटन एवं व्यय में मंत्रालय के पेशेवर दृष्टिकोण के अभाव एवं सरसरी दृष्टि को दर्शाता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय विलंब से निर्णय, यदि कोई हो, लेने के लिए उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करे जो इस शीर्ष के प्रभारी थे, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष-दर-वर्ष निधियों की वापसी से बचने के लिए अत्यंत गंभीरता से निधि आवश्यकता का आकलन किया जाए। समिति निधियों की वापसी की परंपरा से बचने के लिए किए गए उपायों से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

5.2 योजना के दिशानिर्देशों में ये माना गया है कि जब परियोजना चल रही हो तब निगरानी प्रगति का एक निरंतर माप होती है, जिसमें प्रगति की जाँच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों और मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। उनमें मंत्रालय के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टों की समवर्ती निगरानी और यादृच्छिक जाँच को

अधिकृत करने के प्रावधान मौजूद हैं। मंत्रालय ने तदनुसार कॉल सेंटर चलाने के लिए एक एजेंसी की सेवाएं लीं, जो लाभार्थियों को बेतरतीब ढंग से कॉल करती है और उनका इनपुट लेती हैं। रिपोर्ट योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। तथापि इस खाते पर व्यय अनुमानित व्यय से कम है। मंत्रालय के अधिकारी भी फील्ड का दौरा कर परियोजनाओं की निगरानी करते हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ) के निरीक्षकों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अनुदान की दूसरी किस्त जारी की जाती है। मंत्रालय योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए एजेंसी की सेवाएँ लेने की प्रक्रिया में है। इसके लिए रूचि की अभिव्यक्ति (इओआई) पहले ही जारी कर दिए गए हैं योजना की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु जनशक्ति की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए योजना हेतु परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना का एक और प्रस्ताव है। योजना पोर्टल में सुधार करने और इसे स्किल इंडिया पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के साथ एकीकृत करने का एक और प्रस्ताव है ताकि प्रभावी ऑनलाइन निगरानी को मजबूत किया जा सके। योजना पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि योजना को सही गति प्रदान करते हुए शीर्ष के अधीन धनराशि का उपयोग पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से किया जाता है।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय- एक का पैरा संख्या 1.15 देखें)

सिफारिश (पैरा 7.8)

5.3 समिति नोट करती है कि वक्फ बोर्ड के कंप्यूटरीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 17.50 करोड़ रु. ब.आ. की तुलना में 11.83 करोड़ रु. जारी किए गए थ। समिति यह नोट करती कि भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएसआई) में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में 328491 वक्फ संपदाएं, 616732 अचल संपत्तियां, 53210 जीपीएस सर्वेक्षण, 45654 फोटोग्राफी और 16597 चल संपत्तियों आदि को पजीकृत किया गया था। समिति यह जानना चाहती है कि क्या उनकी जीआईएस मैपिंग भी की जाती। समिति वक्फ संपत्तियों के डिजीटीकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए नोट करती है कि अभी तक केवल पंजीकृत वक्फ की संपत्तियों का डिजटीकरण पूरा किया गया है। चूंकि बहुत सी गैर-पंजीकृत संपत्तियां हो सकती है और इन संपत्तियों पर आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता है, अतः समिति

चाहती है कि तद्नुसार राज्य वक्फ बोर्डो को गैर-पंजीकृत संपत्तियों का भी पंजीकरण कराने की सलाह दी जाए और इसके पश्चात् अतिक्रमण को रोकने के लिए डब्ल्यूएएमएसआई के अंतर्गत उनका डिजटीकरण किया जाए।

सरकार का उत्तर

5.4 इस योजना को केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है। इस योजना के तहत सीडब्ल्यूसी को जीआईए जारी किया जाता है जो एसडब्ल्यूबी से पिछली वित्तीय सहायता के व्यवहार्य प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जनशक्ति की तैनाती के लिए, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण, वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) के कुशल प्रशासन हेतु योजना के तहत वित्तीय सहायता करना। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एसडब्ल्यूबी से पिछली वित्तीय सहायता का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण योजना के तहत 11.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

यह एक सतत प्रक्रिया है और योजना मॉड्यूल के अनुसार गतिविधियों के स्वचालन के लिए और राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रगति कर रही है। अब तक 329937 वक्फ सम्पदा, 652169 अचल संपत्तियाँ, 95438 जीपीएस सर्वेक्षण, 87220 फोटोग्राफी, 16602 चल संपत्तियां दर्ज की गई हैं। राज्य वक्फ बोर्डों में आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एएमयू अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और विशिष्ट वक्फ संपत्तियों के मानचित्रण में निपुण अन्य निजी प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 50% काम मार्च 2020 तक पूरा करना था इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया, ताकि कार्य के लिए प्रदान की गई एजेंसियों का समर्थन और सहयोग करने के लिए सभी राज्य वक्फ बोर्डों को प्रभावित किया जा सके। हालंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य अनदेखी कार्य क्षेत्र समस्याओं के रहते 96000 वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग पूरी की जा चुकी है। समग्र कार्य को पूरा करने की समय योजना के अनुसार निर्धारित अवधि मार्च 2022 है। सीडब्ल्यूसी कार्यालय नियमित रूप से, तत्परता से निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए काम से जुड़ी एजेंसियों और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ इस मामले पर निष्ठापूर्वक विचार करता है। राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे अपंजीकृत वक्फ हेतु जागरूकता पैदा करें ताकि उनका डिजिटलीकरण कर बाद में अतिक्रमण को रोका जा सके। वक्फ के मामलों के सुचारु प्रबंधन के लिए मुतवल्ली की रुचि पैदा करने के लिए प्रबंधन में उत्कृष्टता का पुरस्कार वक्फ संस्थानों को कुछ कसौटी

के साथ पेश किया गया था। इस संबंध में संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए गए थे। पहला पुरस्कार समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था और योग्य मुतावल्ली और वक्फ को उचित रूप से सम्मानित किया गया।

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

सिफारिश (पैराग्राफ 7.11)

5.5 समिति वक्फ बोर्डों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न कार्यकलापों अर्थात् वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संपत्तियों के पट्टे का ब्यौरा, न्यायालय के मामले का पता लगाने आदि के लिए कंप्यूटरीकृत डाटा बेस का सृजन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए नोट करती है कि मंत्रालय ने पूरे देश में वक्फ की अचल संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग शुरु की है एवं इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक वक्फ की 50 प्रतिशत संपत्तियों का जीआईस मैपिंग करना है। समिति ने पाया कि 600723 वक्फ संपत्तियों में से केवल 31407 संपत्तियों की अभी तक मैपिंग की गई है और मार्च, 2020 के अंत तक 2,68,955 संपत्तियों का मैपिंग किया जाना है जो कि एक बड़ा कार्य है। समिति को संशय है कि क्या मंत्रालय निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूरा कर पाएगा। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है वह समिति प्रगति रिपोर्ट को जानकारी दे और एवं यदि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं होता है तो व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करे एवं समयबद्ध तरीके को जीएसआई मैपिंग का कार्य पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करे। आगे चूंकि राज्य वक्फ बोर्डों/परिषदों के कार्यकरण में पारदर्शिता सबसे बड़ी आवायकता है, समिति महसूस करती है कि सदस्यों का निर्वाचन निर्धारित अंतराल पर होने चाहिए।

सरकार का उत्तर

5.6 वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए गतिविधियों के स्वचलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक थी। वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग सभी राज्य वक्फ बोर्डों में युद्ध-स्तर पर शुरू की गई और विशेषज्ञ संस्थानों जैसेकि आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, एएमयू अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अन्य निजी प्रतिष्ठित एजेंसियों को कार्य सौंपने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्च, 2020 तक 50% काम पूरा किया जाना था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रदान की गई एजेंसियों को सहायता एवं सहयोग देने के लिए सभी राज्य वक्फ बोर्डों पर दबाव डालने के लिए नियमित बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए गए। हालांकि, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और क्षेत्र संबंधी अन्य समस्याओं के कारण, वक्फ संपत्तियों के 50ः को पूरा करने का लक्ष्य हासिल नहीं

किया जा सका। तथापि, 96000 वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग अब तक पूरी हो चुकी है और काम में निरंतर प्रगति हो रही है और लॉकडाउन के बीच प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है। समग्र कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित कार्य अवधि मार्च, 2022 है। सीडब्ल्यूसी का कार्यालय निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए काम सौंपी गई एजेंसियों और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ लिए इस मामले पर नियमित रूप से और लगन से कार्य कर रहा है।
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का. ज्ञा. सं. जी-20014/2/2020 बजट दिनांक 08 जून, 2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय- एक का पैरा संख्या 1.18 देखें)

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2020
कार्तिक, 1942 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति।

अनुबंध- एक

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंध में बीई और आरई 2019-20 और वास्तविक व्यय 2019-20 को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	योजना	बीई 2019-20	आरई 2019-20	व्यय 31.03.2020 (अनंतिम)	बीई का प्रतिशत	आरई का प्रतिशत
1	सीखो और कमाओ	250	250	175.52	70.20%	70.20%
2	उस्ताद (हुनर हाट)	50	60	54.48	109.00%	90.80%
3	नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक कौशल)	140	100	34.44	24.60%	34.40%
4	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार	60	40	24.97	41.60%	62.50%
5	सचिवालय	22	24.39	22.53	102.40%	92.40%
	उप योग	**522**	**474.39**	**311.95**	**59.80%**	**65.80%**
6	एनएमडीएफसी की इक्विटी	100	160	160	160.00%	100.00%
7	मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन	90	90	37.5	41.70%	41.70%
8	एनएमडीएफसी के एससी को अनुदान	2	2	1.93	96.50%	96.50%
9	सहारी वक्फ संपत्ति विकास योजना	3.16	3.16	3.16	100.00%	100.00%
10	हज सीजीआई जेद्दा	85	80	75.23	88.50%	94.00%
11	हज सचिवालय	9	8	6.82	75.80%	85.30%
12	कौमी वक्फ बोर्ड तारककियाती	17.5	15	11.82	67.50%	78.80%
	उप योग	**306.66**	**358.16**	**296.46**	**96.70%**	**82.80%**
13	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1220.3	1199.82	1324.84	108.60%	110.40%
14	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	496.01	482.66	428.77	86.40%	88.80%

15	मेरिट-सह-साधन	366.43	361.51	285.63	77.90%	79.00%
16	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	155	130	100	64.50%	76.90%
17	पढ़ो परदेश - ब्याज सहायता	30	25	14.43	48.10%	57.70%
18	घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना- जियो पारसी	4	4	3.86	96.50%	96.50%
19	हमारी धरोहर	8	3	0.7	8.80%	23.30%
	उप योग	**2279.74**	**2205.99**	**2158.23**	**94.70%**	**97.80%**
20	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	**1470**	1588.86	1698.29	**115.50%**	**106.90%**
21	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	75	40	13.97	18.60%	34.90%
22	यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।	20	10	8.02	40.10%	80.20%
23	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	9.3	10.3	9.23	99.20%	89.60%
24	आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक	2.3	2.3	1.88	81.70%	81.70%
	उप योग	**1576.6**	**1651.46**	**1731.39**	**109.80%**	**104.80%**
25.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना	15	10	7.1	47.30%	71.00%
	सकल योग	**4700**	**4700**	**4505.12**	**95.90%**	**95.90%**

अनुबंध- दो

2019-20 की अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय की अनुमत सीमाओं के संबंध में छूट पत्र

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बजट प्रभाग)

संदर्भ: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

एफ/नं. जी-22011/1/2020-बजट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव जो इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के संबंध में जनवरी और फरवरी, 2020 के दौरान 15% की और मार्च, 2020 के दौरान 10% की व्यय सीमाओं और क्यूईपी/एमईपी सीमाओं में छूट दिए जाने के संबंध में है, को बजट प्रभाग में देखा गया है। तद्नुसार यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) एमईपी/क्यूईपी सीमाओं में छूट केवल मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में ही दी जाएगी।

(ख) जहां तक शेष योजनाओं जिनमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना भी शामिल है, का संबंध है, मंत्रालय से अनुरोध है कि बजट प्रभाग में इस मामले की पुनः जांच किए जाने से पूर्व पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए त्रैमासिक व्यय का ब्यौरा दें।

2. यह सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/-

(संजय रावत)

अवर सचिव (बजट)

संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (कंप्यूटर सं. 964693) दिनांक 29 फरवरी, 2020

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बजट प्रभाग)

संदर्भ: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

एफ/नं. जी-22011/1/2020-बजट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही-अंतिम माह में 25%-10% की छूट देने के प्रस्ताव की बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग में जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि लंबित दांवो/देनदारियों वाली योजनाओं अर्थात ब्याज सहायता, अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और प्रचार, उस्ताद, नई मंजिल इत्यादि से जुड़ी योजनाओं पर ही अधिकतम सीमा में छूट दी जाए ताकि अंतिम तिमाही में किया गया व्यय 2737.05 करोड़ रु. की परिधि में रखा जा सके।

2. यह सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/-

(संजय रावत)

अवर सचिव (बजट)

संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (कंप्यूटर सं. 964693) दिनांक 16/03/2020

अनुबंध- तीन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की मंगलवार 10 नवंबर, 2020 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1430 बजे तक समिति कमरा संख्या 2, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री थोमस चाजिकाडन
3. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
4. श्रीमती रंजीता कोली
5. श्रीमती गीता कोड़ा
6. श्री अक्षयवर लाल
7. श्री पशुपति कुमार पारस
8. श्रीमती रेखा वर्मा
9. श्रीमती रमिलाबेन बारा

राज्य सभा

10. श्री एन. चन्द्रशेखरन
11. श्री पी. एल. पुनिया
12. श्री राम कुमार वर्मा

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल - निदेशक

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और श्री पशुपति कुमार पारस, संसद सदस्य, लोक सभा को समिति में उनको नामित किए जाने पर बधाई दी। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति को सूचित किया कि श्री पी.एल.पुनिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल 25 नवंबर, 2020 को समाप्त हो रहा है तथा उन्होंने श्री पुनिया को समिति के कार्यकरण में उनकी सहायता और मूल्यवान योगदान के लिए सराहना की। तदुपरांत, समिति ने पिछले कार्यकाल (2019-20) के दौरान दो सदस्यों श्री दुर्गा प्रसाद बल्ली और श्री अशोक गस्ती के दुखद निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। समिति के सभी सदस्यों और अधिकारी दिवंगत नेताओं के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारुप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(एक) ***** ***** ***** *****

(दो) ***** ***** ***** *****

(तीन) 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' पर समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(चार) ***** ***** ***** *****

4. इसके बाद, सभापति ने सदस्यों से प्रारूप प्रतिवेदनों पर अपने सुझाव, यदि कोई हो, देने का अनुरोध किया। तदुपरांत, प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधनों के स्वीकार किया गया। समिति ने सभापति को अगले सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5. ***** ***** ***** *****

6. ***** ***** ***** *****

7. ***** ***** ***** *****

8. ***** ***** ***** *****

9. ***** ***** ***** *****

10. ***** ***** ***** *****

11. ***** ***** ***** *****

12. ***** ***** ***** *****

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही स्थगित हुई)

***** मामला प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2020-21)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण ।

(सत्रहवीं लोकसभा)

		कुल	**प्रतिशत**
I.	सिफारिशों की कुल संख्या	27	
II.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (पैरा सं.- 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 3.21, 3.22, 3.23, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.11, 5.12, 6.10, 7.9, 7.10, 8.7, 8.8, 9.8 और 9.18)	20	74.08%
III.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती (पैरा सं.- 9.14)	1	03.70%
IV.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (पैरा सं.- 3.24, 3.25 और 3.26)	3	11.11%
V.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं (पैरा सं.- 5.13, 7.8 और 7.11)	3	11.11%